


आदेशिका

हस्ताक्षर/सूचना

नमस्त दिवस को प्रकरण पेश होकर
 आज आज सेवा केन्द्र उमरकास प्राप्त
 आपके द्वारा प्रारम्भ के पत्रावली
 आदेशिका का उपाय नहीं। पीपलस
 अधिकारी आज काशा के पत्रावली
 प्रमाण के प्रमाण की पालिका के दिनांक 18/11/17
 को पेश हो

पत्रावली राजस्व लीज अदालत अधिपति "व्याप
 आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट उमरवास पर रखने
 से आज पेश हुई पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। पत्रावली के अवलोकन से निम्न
 हैं कि ग्राहक कितना ही आरपी नम्बर
 307/178 रजवा 2-17-12 बीपी प्रमि
 प्रार्थी की रजवा प्रमि है जिसके प्रमि का
 सीमांकन करा पत्रावली कराया जाता न्यायोक्ति
 प्रमाण होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सीमांक
 किया जाता है व उक्त प्रमि का सीमांकन कर
 पत्रावली विधि जाते का अपेक्षा किया जाता है
 तदुपलक्ष्य ग्राहक उक्त प्रमि का सीमांकन करा
 पत्रावली करा पालिका रिपोर्ट इस न्यायालय
 की प्रेषित। पालिका हेतु तदुपलक्ष्य ग्राहक की
 लिखा जावे। पत्रावली फौजदारी प्रमाण हो कर नम्बर से
 काम हो। निर्णय सुनने न्यायालय से सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी

कुम्भलगढ़

राजस्थान (राज.)